

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विपक्षी हीरालाल
 म मुकदमा 88-188-63(1)(4) पत्रावली संख्या 227/16 सन्

मांक	कार्यवाही विवरण	हरताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>17/12/18 मावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 10/01/19 को पेश हो।</p> <p>10/01/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकार उपस्थित। जवाब/ तलबी हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया गया। वास्तव जवाब/तलबी पत्रावली दिनांक 29/01/19 की पेश हो।</p> <p>29/01/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जवाब/तलबी हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया गया। वास्तव जवाब/तलबी पत्रावली दिनांक 11/2/19 की पेश हो।</p> <p>11/02/19 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... 06/03/19 को पेश हो।</p> <p>06/03/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16/04/19 को पेश हो।</p>	<p>हरताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>

16/04/19

वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप, जवाब/तला

के लिये मौका चाहते है। अतः क

भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11/06/19

को पेश हो।

SDO मावली

11/6/19

पत्रावली पेश की काय करता


उक्त पत्रावली को पत्रावली

को अग्रिम पत्रावली पत्रावली

दिनांक 11/06/19 को पेश

पत्रावली दिनांक 11/06/19

को पेश



30/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकाल प्राया/अपाला

प्रतिवादी / विपक्षी / अपने उपस्थित/पीठासीन

अधिकारी महो. आज अदालत/भरण/मिटिंग

में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में

दिनांक 30/7/19 को पेश हुई।

3/9/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता

उक्त पत्रावली से आवाज दिलवाई

गई। अनु. दी अतः अनु. रद्द कर

पत्रावली अदालत हाजरी। अदालत

पत्रावली से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसला सुनाने के लिए

नम्बर से कम ही निर्दिष्ट सुनाया

गया।

दिनांक 30/7/19 को पत्रावली पेश की गई थी। अतः अनु. रद्द कर पत्रावली अदालत हाजरी। अदालत पत्रावली से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनाने के लिए नम्बर से कम ही निर्दिष्ट सुनाया गया।